

पत्रावली संख्या:- 104/2017/अपील

शिवभगवान पुत्र कानाराम जाति रैगर निवासी बोसाना तहसील धोद जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.08.2017 मु.न. 20/2017
अनुवानी सरकार बनाम शिवभगवान न्यायालय नायब
तहसीलदार धोद

वकील अपीलांट श्री सागरमल धायल

निर्णय

दिनांक:-16.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बोसाना द्वारा नायब तहसीलदार धोद के न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम बोसाना की तन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 5.83 है 0 राजकीय भूमि में अपीलांट ने 0.01 है 0 भू भाग पर पुख्ता कच्चे मकान, बाड़े आदि बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। न्यायालय नायब तहसीलदार धोद ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं व जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया व जवाब, सबूत पेश करने हेतु अवसर चाहा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब व सबूत का अवसर दिये बिना ही व बिना स्वयं मौका देखे ही अपना निर्णय दिनांक 28.08.2017 पारित कर दिया गया। अपीलांट विवादित आराजी खसरा नम्बर 158 सरकारी भूमि जो बामनी तलाई के नाम से अलमशहूर है में अर्सा 25-26 वर्ष से भी अधिक समय से आवासीय मकान बनाकर आबाद है व बाड़ा, पशुओं की छाया खाध फुस डालता आ रहा है। अपीलांट के पास रहने हेतु अन्य कोई मकान व आवास नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके व कब्जे की जांच किए ही व बिना कब्जे की नपती किए ही अपना निर्णय पारित कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व स्वतंत्र गवाहान के कोई बयान नहीं लिये गये व अपीलांट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया। विवादित भूमि पर सरकारी स्कीम में ट्यूबवैल बना हुआ है व विधुत संबंध भी सरपंच ग्राम पंचायत बोसाना के नाम से स्थापित है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है जो भूमिहीन व असहाय व्यक्ति है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया लेकिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट को जवाब हेतु मौका दिया गया व न ही सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच किए बिना ही अपना निर्णय दिनांक 28.08.2017 को पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के हक में नियमन की आज्ञा फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को

उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलान्त द्वारा ग्राम बोसाना के खसरा नम्बर 158 रकबा 5.83 है० किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.01 है० पर बाड़ा बनाकर व निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलान्त को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः राजकीय भूमि (गै.मु. चारागाह) पर बाड़ा बनाकर व निर्माण करके किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार धोद के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 28.08.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर
अति. जिला कलक्टर, सीकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

